

# राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड, जयपुर

राज्य कृषि प्रबंध संस्थान परिसर, दुर्गापुरा, जयपुर-302018, दूरभाष नं. 0141-2552796

प.1(6)(9)RSSB/संस्था./सेवा.नि.अधि./2018/1406

दिनांक: 23/07/18

श्री रघुवीर सिंह, (सेवानिवृत्त प्रधानाचार्य)  
358, वसुंधरा कॉलोनी,  
टोंक रोड़, जयपुर

एकल स्रोत निविदा सूचना

**विषय:-** राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता नियम 2013 के नियम 17(1) के अन्तर्गत बोर्ड में विशेषाधिकारी अध्यक्ष (शिक्षाविद) के पद पर प्रस्ताव आमंत्रित करने बाबत।

महोदय,

राजस्थान सरकार द्वारा राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड का गठन ग्रेड-पे रू 3600/- (पे-मेट्रिक्स लेवल L-10) तक की अधीनस्थ एवं मंत्रालयिक सेवाओं के लिए कामैको का चयन करने हेतु किया गया है। आप माध्यमिक शिक्षा विभाग में प्रधानाचार्य से सेवानिवृत्त हुए हैं। बोर्ड में स्वीकृत विशेषाधिकारी अध्यक्ष (शिक्षाविद) के पद पर आप जैसे अनुभवी व्यक्ति की शीघ्र आवश्यकता है। आपका कार्यकाल बोर्ड में तीन माह का होगा। विशेषाधिकारी अध्यक्ष (शिक्षाविद) पद के लिए जॉब चार्ट संलग्न है।

आप कृपया अपने अनुभव का विस्तृत विवरण देते हुए बोर्ड में विशेषाधिकारी अध्यक्ष (शिक्षाविद) पद हेतु आपकी सहमति तथा वित्तीय प्रस्ताव तीन दिवस में प्रस्तुत करें।

**संलग्न :-** विशेषाधिकारी अध्यक्ष (शिक्षाविद) पद हेतु जॉब चार्ट



(डॉ. बी.एल.जाटावत)

अध्यक्ष

# राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड, जयपुर

राज्य कृषि प्रबंध संस्थान परिसर, दुर्गापुरा, जयपुर-302018, दूरभाष नं. 0141-2552796

विशेषाधिकारी अध्यक्ष (शिक्षाविद) पद हेतु संविदा सेवाओं के लिए जॉब चार्ट

विशेषाधिकारी अध्यक्ष (शिक्षाविद) से मासिक तौर पर निम्नांकित कार्य की सेवाएं ली जावेंगी:-

1. परीवीक्षण शाखा में सफल अभ्यर्थियों के दस्तावेजों की जांच कार्य का परीवीक्षण करना।
2. परीवीक्षण शाखा में दस्तावेज सत्यापन के दौरान अभ्यर्थियों की डिग्री, मार्कशीट्स एवं अन्य दस्तावेजों की सत्यता की जांच करवाना।
3. बोर्ड की परीवीक्षण शाखा की मॉनिटरिंग एवं प्रक्रिया सुधार के आवश्यक सुझाव देना।
4. विभिन्न भर्ती परीक्षाओं में Scaling, Modernization और Normalization के सुझाव देना।
5. विभिन्न भर्ती आयोगों/बोर्डों/संस्थाओं की भर्ती प्रक्रियाओं का अध्ययन करना एवं आवश्यक सुझाव देना।
6. बोर्ड बैठक में प्राप्त प्रस्तावों का अध्ययन करना एवं आवश्यकतानुसार अध्यक्ष महोदय को सुझाव देना/आवश्यक जानकारी में लाना।
7. अन्य तत्कालिक कार्य जो अध्यक्ष महोदय द्वारा समय-समय पर बताये जावें।



(डॉ. बी. एल. जाटावत)  
अध्यक्ष